

उनवान

1. बिजेन्द्र सिंह पुत्र मदन लाल जाति जाट निवासी ग्राम श्रीया का बास अग्यारा तहसील रामगढ़ जिला अलवर।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जयें जिला कलेक्टर महोदय, अलवर।
2. राजस्थान सरकार जयें लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार रामगढ़।
3. नगर विकास न्यास जयें सचिव महोदय, अलवर।

.....प्रतिवादीगण

(अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट)

### निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 818 रकबा 2.01 हैक्ट0 वाके ग्राम अग्यारा तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 का मुखालफाना कब्जा(एडवर्स पजेशन) के आधार पर काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व कागजातमाल में अमल दरामद कराया जावे।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बगडमेव में दिनांक 21.06.2016 को पेश हुई। पैरोकार सरकार ने लोक अदालत में जवाब प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी सम्बत 2020 अरसा 52 साल से ही सरकारी सिवायचक भूमि दर्ज रिकार्ड रही है। जो वर्तमान में यू. आई. टी. अलवर की खातेदारी में दर्ज है। अतः वाद वादी खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत ~~बगडमेव~~ में अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं पैरोकार सरकार के जवाब के मुताबिक विवादित आराजी सम्बत 2020 अरसा 52 साल से ही सरकारी सिवायचक भूमि दर्ज रिकार्ड रही है। जो वर्तमान में यू. आई. टी. अलवर की खातेदारी में दर्ज है। ऐसी स्थिति में वाद खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

वादी का वाद संलग्न दस्तावेजात एवं पैरोकार सरकार के जवाब के आधार पर विवादित आराजी सम्बत 2020 अरसा 52 साल से ही सरकारी सिवायचक भूमि दर्ज रिकार्ड रही है। जो वर्तमान में यू. आई. टी. अलवर की खातेदारी में दर्ज होने के कारण वाद वादी खारिज किया जाता है। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत बगडमेव में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट बगडमेव)

पीठासीन अधिकारी : श्री संजय शर्मा आरएएस  
मुकदमा नं० 1/371 / 12

निर्णय दिनांक : 21.06.2016

उनवान

1. बिजेन्द्र सिंह पुत्र मदन लाल जाति जाट निवासी ग्राम श्रीया का बास अग्यारा तहसील  
रामगढ़ जिला अलवर।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ने जिला कलक्टर महोदय, अलवर।
2. राजस्थान सरकार जर्ने लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार रामगढ़।
3. नगर विकास न्यास जर्ने सचिव महोदय, अलवर।

.....प्रतिवादीगण  
(अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

वादी का वाद संलग्न दस्तावेजात एवं पैरोकार सरकार के जवाब के आधार पर विवादित आराजी सम्बत 2020 अरसा 52 साल से ही सरकारी सिवायचक भूमि दर्ज रिकार्ड रही है। जो वर्तमान में यू. आई. टी. अलवर की खातेदारी में दर्ज होने के कारण वाद-वादी खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.06.2016 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी  
रामगढ़ (अलवर)